न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/4269/2005/भीलवाड़ा

1– राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री उदयसिंह जाति राजपूत निवासी खामोर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा।

---- अपीलांट/वादी

बनाम

1– राजस्थान सरकार।

---- रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी

खण्ड पीठ
श्री रामनिवास जाट, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री योगेन्द्रसिंह, अधिवक्ता अपीलांट।
(2) श्री शंकरलाल चौधरी, उप राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय **दिनांक :– 20.09.2021**

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा अपील सं0 113/2004 बउनवानी उदयसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 28–06–2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के समक्ष वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा खामोर में आराजी नंबर 1668 रकबा 15 बीघा 18 बिस्वा नामी निम्बोला तालाब की भूमि राजस्व रेकार्ड में वादी के स्थान पर सरकार के खाते दर्ज कर दी। वादग्रस्त आराजी राजस्व मण्डल द्वारा जागीर एक्ट के अन्तर्गत निर्णित प्रकरण सं0 22/64 निर्णय दिनांक 16–3–1966 में वादी की व्यक्तिगत सम्पति घोषित की है जिसे वादी अपने नाम से अंकित कराने का अधिकारी है। वादी द्वारा प्रतिवादी को 80 सी0पी0सी0 का नोटिस विधिवत् दिया गया है। उक्त आधार पर वादग्रस्त आराजी अपने नाम दर्ज कराने का निवेदन किया। वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया

जिसमें प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रश्नगत आराजी सिवायचक खाते में दर्ज है जो मिल्कियत सरकार है। विद्वान विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 19–4–2004 से वादी अपने वादपत्र को सिद्व करने में असफल रहने के कारण वादी का वादपत्र खारिज किया गया है जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 19–4–2004 के विरूद्व अपीलांट की ओर से विद्वान अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो दर्ज रजिस्टर कर उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर तनकीयात कायम कर दिनांक 28–6–2005 को अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज कर दी एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को यथावत् रखा गया है जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 28–6–2005 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री विरूद्व न्याय, नियम एवं रेकार्ड होने से काबिल निरस्तनीय है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने वादी/अपीलांट के वाद व अपील अस्वीकार कर अपने अधिकारिता का दुरूपयोग किया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने वाद का निर्णय करते समय विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–7–1996 में दिये गये निर्देशों की पालना नहीं की और न ही उनके द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तनकी ही बनाई गयी। यद्यपि उन्होंने तनकी बनाई लेकिन वह तनकी पूर्व में बनाई गई तनकी नं0 1 से भिन्न नहीं कहीं जा सकती। पूर्व में बनाई गई तनकी नं0 1 व बाद में बनाई गई तनकी नं0 2 एक जैसी हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने तनकी नं0 1 वादी के पक्ष में निर्णित कर दी थी एवं उस तनकी के निर्णय की पुष्टि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने भी की है। तनकी नं0 1 निर्णित करने के बाद विद्वान विचारण न्यायालय के लिए वादी/अपीलांट का वाद अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था तथा तनकी नं0 2 का निर्णय विचारण न्यायालय ने दिया है, वह तनकी ही नहीं है, न इस आशय की तनकी कायम की गई है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने तनकी नं0 2 को एक प्रकार से निर्णित करते हुए हवा में मानते हुए तनकी नं0 2 निर्णित कर

दी। दोनों ही विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों ने प्लीडिंग से परे जाकर निर्णय पारित किये हैं जो विधि विरूद्ध है तथा क्षेत्राधिकार रहित हैं। बहस जारी रखते हुए आगे तर्क दिये कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी को रखने का अधिकारी है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट को मिलने पर अपीलांट के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि रहती है तो या तो वह स्वयं सरेण्डर करने का अधिकारी है या अपीलांट के विरूद्ध राज्य सरकार सीलिंग अधिनियम के तहत कार्यवाही कर अधिग्रहण करने की अधिकारी है किन्तु अपीलांट को वाद में चाही गई भूमि का खातेदार घोषित किये जाने से उसके पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि हो जाती है। इसलिए उसको खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता। न तो ऐसी कानून की मंशा है, न ऐसा कानून है। प्रतिवादी/रेस्पो0 ने अपने जवाब दावा में एक प्रकार से यह स्वीकार किया है कि मण्डल ने वादग्रस्त भूमि अपीलांट की खुदकाश्त की निजी सम्पति मान ली गई है एवं चाही गई दादरसी अपीलांट प्राप्त करने का अधिकारी है। राज्य सरकार प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा के अनुसार अपीलांट के वाद को स्वीकार कर लिया गया था, जब वाद स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में आदेश 8 नियम 5 व आदेश 15 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसार पक्षकारान में विवाद नहीं होने से विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय के लिए वाद डिक्री करने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं था। अपीलांट ने अपने वाद को सिद्व करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत कर दी थी जबकि राज्य सरकार की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई थी जबकि सीलिंग सीमा से अधिक भूमि होने का साक्ष्य राज्य सरकार को प्रस्तुत करना था। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान अपीलीय न्यायालय एवं विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री क्रमशः 28-6-2005 एवं 19-4-2004 निरस्त फरमाये जावें एवं वाद वादी/अपीलांट विरूद्ध रेस्पोडेन्ट डिक्री किया जावें।

5- प्रत्युत्तर में विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट के तर्को का विरोध करते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने तनकीयात कायम कर उनका विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किये हैं जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

6– हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया।

7– विद्वान उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 19–4–2004 से वादी अपने वादपत्र को सिद्ध कराने में असफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र खारिज किया गया है। विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा ने भी अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 28–6–2005 से अपीलांट न तो मातहत अदालत के समक्ष क्लीन हेण्ड से आया है और न ही तथ्यों का खुलाशा ही किया है। मातहत अदालत के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हुए अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जाता है।

8– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी/अपीलांट द्वारा यह रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया कि वर्तमान में उसके पास कितनी भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। सीलिंग सीमा से अधिक है या नहीं? प्रश्नगत भूमि खातेदार के विरूद्ध सीलिंग नियमों के तहत कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व ही बिलानाम सरकार दर्ज हो चुकी थी जिससे यह आराजी सीलिंग अधिनियमों के तहत प्रभावित नहीं हुई है। वादी/अपीलांट के विरूद्ध सीलिंग अधिनियम के तहत कार्यवाही होकर भूमि अधिग्रहण हुई है। इससे स्पष्ट है कि वादी/अपीलांट सीलिंग से प्रभावित है व आज भी इस भूमि को दर्ज करने से वादी/अपीलांट के विरूद्ध नये व पुराने सीलिंग अधिनियमों में लागू होने की दिनांक को प्रभावित था। इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री में विस्तृत विवेचन करते हुए वादी/अपीलांट का वादपत्र सिद्ध नहीं होने के कारण सही खारिज किया है जिसकी पुष्टि विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी की है।

9– चूंकि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय है तथा समवर्ती निर्णयों के संबंध में विभिन्न न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्त 2009 डी0एन0जे0 एस0 सी0 पेज 385, 2001 ए0आई0आर0 एस0सी0 पेज 2282 एवं 2002 ए0आई0आर0 पेज 2849 में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत समवर्ती निर्णयों में जब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह सिद्ध नहीं हो कि कोई विधिक

त्रुटि कारित की गई हो। हस्तगत प्रकरण में हमारी राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। इसलिए दोनों समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विधि सम्मत समवर्ती निर्णय पारित किये हैं जिनमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

10– अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के निर्णय व डिक्री दिनांक 19–4–2004 एवं विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के निर्णय व डिक्री दिनांक 28–6–2005 बदस्तुर बहाल रखें जाते हैं।

11– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(रामनिवास जाट)
सदस्य